न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा राजस्व वाद संख्या 169/2011

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 चन्द्राराम गोदपुत्र सविया उर्फ सवाराम जाति मेघवंशी निवासी पचपदरा हाल आकड़ली तहसील पचपदरा		1. मूली देवी बेवा सविया उर्फ सवाराम जाति मेघवंशी तहसील पचपदरा 2. प्यारी देवी पत्नि गोरखाराम जाति मेगवाल निवासी आकड़ली 3. मोरकी देवी पत्नि वीजाराम जाति मेगवाल निवासी पचपदरा 4. वीरोदवी पत्नि कानाराम जाति मेगवाल निवासी पचपदरा 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

उपस्थित : 1. श्री निर्मल खारवाल वादी वकील
2. श्री चेलाराम कुमावत प्रतिवादी वकील

दिनांक : 26.12.2017

वादी वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी बुधाराम का जायदा पुत्र है व स्वर्गीय सवारामजी ने अपने जीवनकाल में ही बहैसियत गोदपुत्र के अपने पास रखना शुरु कर दिया था तथा वह उनके साथ ही उनके घर पर रहता था उस वक्त वादी की आयु करीब 5–6 वर्ष थी। सवाराम का देहांत सन 1975 में हो चुका था सवारामजी की मृत्यु के 3 वर्ष के पश्चात वादी को गोद लेने देने के समस्त जातीय व हिन्दु परम्परा के अनुसार पूरे कर गोद लिया। गोदनामा दिनांक 01.08.1978 को निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया तब से वादी प्रतिवादी सं.1 के साथ रह कर उसकी सेवा चाकरी बतौर गोद पुत्र के करता आ रहा है तथा स्वर्गीय सवारामजी की चल व अचल संपति पर काबिज काश्त है।

सरहद मौजा पचपदरा में स्वर्गीय सवारामजी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 201, 258,256,601/202 व 200 रकबा क्रमशः 2.13,8.10,10.04.,2.00 व 3.00 बीघा कुल रकबा 26.07 बीघा है वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा तथ प्रतिवादीनी नम्बर 1 का 1/2 हिस्सा हिन्दू विधि के अनुसार हुआ प्रतिवादी सं. 1 ने ख.नं. 200 प्रतिवादीनी सं. 4 व ख.नं.258 व 265 दिनांक 05.09.2011 को प्रतिवादीनी नम्बर 2 व 3 को बैचान कर दी वादी प्रतिवादीनी नम्बर 1 द्वारा किये बैचान दिनांक 05.09.2011 से पांबद नहीं है उक्त बैचान वादी के हको के विरुद्ध बेअसर, अवैध व शून्य है।

अतः वादी की प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न डिक्री सादर फरमाई जावे। सरहद मौजा पचपदरा के खेत खसरा नम्बर 200 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 201 रकबा 2.13 बीघा, खसरा नम्बर 258 रकबा 8.10 बीघा,

सहायक कलेक्टर,
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 265 रकबा 10.04 बीघा, खसरा नम्बर 801/202 रकबा 2 बीघा का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की उपरोक्त खसरो की भूमि पर से वादी को बेदखल नहीं करे न वादी के कब्जा काश्त में दखल करे न राजस्व रेकर्ड में रदोबदली ही करावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने दिनांक 18.06.13 को जबाब पेश कर वाद पत्र अस्वीकार किया। व स्वर्गीय सवाराम ने अपने जीवनकाल में वादी को बहैसियत गोदपुत्र अपने पास नही रखा वह अपने पिता बुधाराम के साथ उनके घर में आज तक रहता आया है। सवाराम का देहांत सन 1975 के आस पास हुआ लेकिन स्वर्गीय सवाराम ने मृत्यु के वक्त प्रतिवादी नं. 1 को गोद लेने की कोई आज्ञा नही दी सवाराम की मृत्यु के तीन वर्ष के पश्चात वादी को गोद लेने देने के तमाम रश्म रिवाज पूरा कर गोद लिया। न वादी के जायंदा माता पिता ने वादी को गोद दिया वादी ने प्रतिवादीनी नम्बर 1 की वृद्धावस्था व अनपढता का फायदा उठा कर वादी ने विधवा पेंशन का कह कर धोखे से गोदनाम का दस्तावेज लिखाया स्वर्गीय सवाराम के वफात के समय उनके कोई जायंदा पुत्र पुत्रीया नही थी। एक मात्र वारिस उनकी यानी प्रतिवादीनी नम्बर 1 होने से फौतगी म्यूटेशन प्रतिवादीनी नम्बर 1 के नाम से भरा गया तथा भूमि की प्रतिवादीनी नम्बर 1 में वेस्ट होकर सवाराम की जायदाद कृषि भूमि वगैरा की तन्हे तन्हा मालिक खातेदार काश्तकार हो गई थी। वादी का 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त नही है। वाद ग्रस्त भूमि प्रतिवादीनी नम्बर 1 में वेस्ट हो गई थी जिसे डिवेस्ट नहीं किया जा सकता। वादी कभी प्रतिवादीनी संख्या 1 के साथ बहैसियत गोदपुत्र के नही रहा।

स्वर्गीय सवाराम ने वादी को गोद नहीं लिया प्रतिवादी संख्या 1 ने गोद पुत्र लिया तथाकथित गोदनामा से पूर्व भूमि प्रतिवादीनी नंबर 1 सवारामजी की एक मात्र वारिस होने के कारण उसमें वेस्ट हो गई थी अपने खातेदारी की भूमि को बेचने का पूर्ण विधिक अधिकार था। उसने अपने विधित अधिकारों के तहत भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के हक में रजिस्टर्ड बेचाननामो के जरिये हस्तान्तरण किया भूमि पर प्रतिवादीनी नं. 2 ता 4 काबित काश्त है तथा भूमि के खातेदार काश्तकार है वादी जब तक प्रतिवादी नम्बर 2 ता 4 के हक में हुए बैचाननामो को दिवानी न्यायालय में मन्सूख नहीं करावे उक्त बैचाननामों के अस्तित्त में रहते राजस्व न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नहीं है।

वाद पत्र में दिनांक 15.10.2013 को तनकीयात कायम कर तनकी संख्या 3 की बहस में पत्रावली दिनांक 30.11.2013 को रखी गई दोनो पक्षो की बहस दिनांक 20.12.2017 को सुनी गई।

बहस में वादी वकील ने जाहिर किया कि गोदनामा बैचान से पूर्व का है आज दिन तक में काबिज हूं तनकी का निर्णय साक्ष्य के पश्चात किया जावे गोद मूली ने लिया था गोदनामा रजिस्ट्रर्ड है तथा पैतृक सम्पति को विक्रय नही कर सकते। मेरे हक मारे गये। सिविल कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिस्से की पैतृक सम्पति विक्रय का अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी वकील ने बहस में जाहिर किया कि बैचाननामा को केन्सिल नहीं कराया गया बैचाननामा प्रभाव में है। गोद सवा ने नहीं लिया है गोद मूली देवी ने लिया वर्ष 1975 में सवाराम की मृत्यु हो गई थी वारिस पानी थी उसी के नाम नामान्तरणकरण भरा गया क्यों कि गोद मूली ने लिया। बैचाननामा अस्वीकार का

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

अधिकार सिविल कोर्ट को है बैचाननामा की मनसूख नहीं करावे बैचाननामा अस्तित्व मे रहते राजस्व न्यायालय को दावा सुनने को अधिकार नहीं है।

हमने दोनो पक्षों को सुना व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। वादी को गोद मूलीदेवी प्रतिवादीनी संख्या 1 एक ने 1978 में गोद लिया सवाराम ने वादी को गोद नहीं लिया गोद लेने से पूर्व प्रतिवादीनी 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चूके थे जिसे भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार था दिवानी न्यायालय से बैचाननामा मन्सुख नहीं हुआ है बैचाननामा आज भी अस्तित्व में है। अतः तनकी संख्या 3 वादी के विरुद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में होने से राजस्व न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नही होने से वादी वाद खारिज किया जाता है। वाद व्यय दोनो पक्ष अपना अपना वहन करें डिक्री पर्चा जारी हो।

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix 'D'1)

अज अदालत– श्री सहायक कलक्टर **SDO** मुकाम बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 चन्द्राराम गोदपुत्र सविया उर्फ सवाराम जाति मेघवंशी निवासी पचपदरा हाल आकड़ली तहसील पचपदरा		1. मूली देवी बेवा सविया उर्फ सवाराम जाति मेघवंशी तहसील पचपदरा 2. प्यारी देवी पत्नि गोरखाराम जाति मेगवाल निवासी आकड़ली 3. मोरकी देवी पत्नि वींजाराम जाति मेगवाल निवासी पचपदरा 4. वीरोदवी पत्नि कानाराम जाति मेगवाल निवासी पचपदरा 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 169 / 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुद्दई निर्मल खारवाल व मिनजानिब पक्षकारान मुदायलाह चेलाराम कुमावत पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में होने से राजस्व न्यायालय को दावा सुनने का अधिकार नही होने से वादी वाद खारिज किया जाता है। वाद व्यय दोनो पक्ष अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26.12.2017 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner